अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 56/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 682(अ).—अभिहित प्राधिकारी, ब्राजील, चीन जनवादी गणराज्य और जर्मनी (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7228 10 10 या 7228 10 90 के अंतर्गत "नॉन कोबाल्ट श्रेणी का हाईस्पीड स्टील" (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना संख्या 6/23/2018-डीजीटीआर तारीख 1 अगस्त, 2019 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 1 अगस्त, 2019 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25 सितम्बर, 2019 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 691(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:--

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के परन्तुक में, अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 जनवरी, 2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 190354/208/2021–टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25 सितम्बर,2019 को सा.का.नि. 691(अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II,खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 6/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 79(अ), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II,खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 56/2021-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 682(E).—Whereas, in the matter of import of "High-Speed Steel of Non-Cobalt Grade" (hereinafter referred to as the 'subject goods'), falling under tariff items 7228 10 10 or 7228 10 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Brazil, People's Republic of China and Germany (hereinafter referred to as the 'subject countries') and imported into India, the designated authority in its final findings vide notification No. 6/23/2018 - DGTR, dated the 1st August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st August, 2019, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the import of subject goods, originating in or exported from subject countries;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 38/2019 Customs (ADD), dated the 25th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G. S. R. 691 (E), dated the 25th September, 2019 (hereinafter referred to as the said notification).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in proviso to paragraph 2, for the figures, letters and word "30th day of September, 2021.", the figures, letters and word "31st day of January, 2022." shall be substituted.

[F. No. 190354/208/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 38/2019 Customs (ADD), dated the 25th September, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 25th September, 2019 and was last amended *vide* notification No. 6/2021-Customs (ADD), dated the 1st February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 79(E), dated the 1st February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 57/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 683(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7210, 7212, 7225, और 7226 के अंतर्गत "एल्युमीनियम और जिंक के मिश्रण के साथ प्लेटेड या लेपित स्टील के फ्लैट रॉल्ड उत्पाद" (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर तारीख 21 फ़रवरी, 2020 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 21 फ़रवरी, 2020 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 397 (अ) तारीख 23 जून, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।। खंड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:--